



उत्तर प्रदेश पुलिस
सब-इंस्पेक्टर (SI)

UTTAR PRADESH POLICE RECRUITMENT & PROMOTION BOARD

उप निरीक्षक /प्लाटून कमांडर /PAC/ अग्निशमन II अधिकारी

भाग - 1

हिंदी



विषय सूची

1. भाषा	1
2. ध्वनि	3
3. संज्ञा	6
4. सर्वनाम	7
5. विशेषण	9
6. क्रिया	12
7. काल	13
8. लिंग	15
9. वचन	16
10. वाच्य	17
11. काश्क	19
12. विशम चिह्न और उनके प्रयोग	28
13. संधि	31
14. समास	37
15. उपसर्ग	41
16. प्रत्यय	45
17. अव्यय	48
18. तत्सम-तद्भव	50
19. पर्यायवाची	52
20. विलोम शब्द	63
21. शब्द युग्म	69
22. अनेक शब्दों के लिए एक शब्द	78
23. वाक्य रचना	83
24. वाक्य शुद्धि	87
25. शुद्ध वाक्य	90
26. मुहावरे	97

27. लोकोक्ति	108
28. रस	122
29. छन्द	124
30. श्लोक	131
31. रचना एवं रचनाकार	135
32. हिन्दी भाषा में पुरस्कार	142
33. अपठित गद्यांश	147

भाषा

“भाषा वह साधन है, जिसके माध्यम से मनुष्य बोलकर, लिखकर या संकेत पर परस्पर ज्ञान विचार सरलता, स्पष्टता, निश्चितता तथा पूर्णता के साथ प्रकट करता है।

बोली

“बोली किसी भाषा के एक ऐसे सीमित क्षेत्रीय रूप को कहते हैं जो ध्वनि, रूप, वाक्य गठन, अर्थ, शब्द-समूह तथा मुहावरे आदि की दृष्टि से उस भाषा के परिनिष्ठित तथा अन्य क्षेत्रीय रूपों से भिन्न होता है; किन्तु इतना भिन्न नहीं कि अन्य रूपों के बोलनेवाले उसे समझ न सकें, साथ ही जिसके अपने क्षेत्र में कहीं भी बोलनेवालों के उच्चारण, रूप-रचना, वाक्य-गठन, अर्थ, शब्द-समूह तथा मुहावरों आदि में कोई बहुत स्पष्ट और महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं होती।”

भाषा का क्षेत्र व्यापक हुआ करता है। इसे सामाजिक, साहित्यिक, राजनैतिक, व्यापारिक आदि मान्यताएँ प्राप्त होती हैं; जबकि बोली को मात्र सामाजिक मान्यता ही मिल पाती है। भाषा का ज्ञान गठित व्याकरण हुआ करता है; परन्तु बोली का कोई व्याकरण नहीं होता। हाँ, बोली ही भाषा को नये-नये बिम्ब, प्रतीकात्मक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ आदि समर्पित करती है। जब कोई बोली विकसित करते-करते उक्त सभी मान्यताएँ प्राप्त कर लेती है, तब वह बोली न रहकर भाषा का रूप धारण कर लेती है। जैसे-खड़ी बोली हिन्दी जो पहले (द्विवेदी-युग से पूर्व) मात्र प्रांतीय भाषा या बोली मात्र थी वह आज भाषा ही नहीं राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। एक बोली जब मानक भाषा बनती है और प्रतिनिधि हो जाती है तो आश-पाश की बोलियों पर उसका भारी प्रभाव पड़ता है। आज की खड़ी बोली ने ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, मगही आदि सभी को प्रभावित किया है। हाँ, यह भी देखा जाता है कि कभी-कभी मानक भाषा कुछ बोलियों को बिल्कुल समाप्त भी कर देती है। एक बात और है, मानक भाषा पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव ही देखा जाता है।

एक उदाहरण द्वारा इसे आसानी से समझा जा सकता है- बिहार राज्य के बेगूसराय खगडिया, समस्तीपुर आदि जिलों में प्रायः ऐसा बोला जाता है-

हम कहें देंगे। हम नैं करेंगे आदि।

भोजपुर क्षेत्र में : हमें लौक रहा है (दिखाई पड रहा है)। हम काम किये (हमने काम किया)

पंजाब प्रान्त का अरार : हमने जाना है (हमको जाना है)।

दिल्ली-आगरा क्षेत्र में : वह कहे था/मैं जाऊँ। मेरे को जाना है।

कानपुर आदि क्षेत्रों में : वह गया हैगा।

एक बोली के अंतर्गत कई बोलियाँ हो सकती हैं, जबकि एक बोली में कई भाषाएँ नहीं होती।

बोली बोलनेवाले भी अपने क्षेत्र के लोगों से तो बोली में बातें करते हैं; किन्तु बाहरी लोगों से भाषा का ही प्रयोग करते हैं।

द्वितीय के अनुसार भारत में 6 भाषा-परिवार, 179 भाषाएँ और 544 बोलियों हैं-

(क) भारोपीय परिवार : उत्तरी भारत में बोली जानेवाली भाषाएँ।

(ख) द्रविड परिवार : तमिल, तेलुगु, कन्नड, मलयालम।

(ग) आस्ट्रिक परिवार : संताली, मुंडारी, हो, श्वेरा, खडिया, कोर्क, भूमिज, गढ़वा, पलौक, वा, खारी, मोनख्मे, निकोबारी।

(घ) तिब्बती चीनी : लुशेइ, मेइथेइ, माये, मिश्मी, अबोर-मिरी, अक।

(ङ) अवर्गीकृत : बुरुशास्की, अंडमानी भर

(च) करेन तथा मन : बर्मा की भाषा (जो अब स्वतंत्र है)

हिन्दी भाषा

बहुत शारे विद्वानों का मत है कि हिन्दी भाषा संस्कृत से निष्पन्न है; परन्तु यह बात सत्य नहीं है। हिन्दी की उत्पत्ति प्राकृत से। प्राकृत भाषा अपने पहले की पुरानी बोलचाल की संस्कृत से निकली है। स्पष्ट है कि हमारे आदिम आर्यों की भाषा पुरानी संस्कृत थी। उनके नमूने ऋग्वेद में दिखते हैं। उसका विकास होते-होते कई प्रकार की प्राकृत भाषाएँ पैदा हुईं। हमारी विशुद्ध संस्कृत किसी पुरानी प्राकृत से ही परिमार्जित हुई। प्राकृत भाषाओं के बाद अपभ्रंशों का जन्म हुआ और उनके वर्तमान संस्कृतोत्पन्न भाषाओं की। हमारी वर्तमान हिन्दी, अर्द्धगामी और शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है।

हिन्दी भाषा और उसका साहित्य किसी एक विभाग और उसके साहित्य के विकसित रूप नहीं हैं; वे अनेक विभाषाओं और उनके साहित्यों की समष्टि का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक बहुत बड़े क्षेत्र-जिसे चिरकाल से मध्यदेश कहा जाता रहा है-की अनेक बोलियों के ताने-बाने से बुनी यही एक ऐसी आधुनिक भाषा है, जिसने अनजाने और

अनौपचारिक शैली से देश की ऐसी व्यापक भाषा बनने का प्रयास किया था, जैसी संस्कृत रहती चली आई थी; किन्तु जिसे किसी नवीन भाषा के लिए अपना स्थान तो रिक्त करना ही था।

वर्तमान हिन्दी भाषा का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक हो चला है। इसे निम्नलिखित विभागों में बाँटा गया है-

(क) बिहारी भाषा : बिहारी भाषा बँगला भाषा से अधिक संबंध रखती है। यह पूर्वी उपशाखा के अंतर्गत है और बँगला, उडिया और आसामी की बहन लगती है। इसके अंतर्गत निम्न बोलियाँ हैं- मैथिली, मगही, भोजपुरी, पूर्वी आदि। मैथिली के प्रसिद्ध कवि विद्यापति ठाकुर और भोजपुरी के बहुत बड़े प्रचारक भिखारी ठाकुर हुए।

(ख) पूर्वी हिन्दी : अर्द्धमागधी प्राकृत के अपभ्रंश से पूर्वी हिन्दी निकली है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस-जैसे महाकाव्यों की रचना पूर्वी हिन्दी में ही की। दूसरी तीन बोलियाँ हैं- अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी प्रसिद्ध रचनाएँ इसी भाषा में लिखी हैं।

(ग) पश्चिमी हिन्दी : पूर्वी हिन्दी तो बाहरी और भीतरी दोनों शाखाओं की भाषाओं के मेल से बनी है; परन्तु पश्चिमी हिन्दी का संबंध भीतरी शाखा से है।

यह राजस्थानी, गुजराती और पंजाबी से संबंध रखती है। इस भाषा के कई भेद हैं--हिन्दुस्तानी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, बाँगरू और दक्षिणी।

गंगा-यमुना के बीच मध्यवर्ती प्रान्त में और उसके दक्षिण दिल्ली से इटावे तक ब्रजभाषा बोली जाती है। गुडगाँव और भरतपुर, करोली और ग्वालियर तक ब्रजभाषा है। इस भाषा के कवियों में शूरदास और बिहारीलाल ज्यादा चर्चित हुए।

कन्नौजी, ब्रजभाषा से बहुत कुछ मिलती-जुलती है। इटावा से इलाहाबाद तक इसके बोलनेवाले हैं। अवध के हरदोई और उन्नाव में यही भाषा बोली जाती है।

बुंदेली बुंदेलखंड की बोली है। झाँसी, जालौन, हमीरपुर और ग्वालियर के पूर्वी प्रान्त, मध्यप्रदेश के दमोह छत्तीसगढ़ के रायपुर, शिवनी, नरसिंहपुर आदि स्थानों की बोली बुंदेली है। छिंदवाड़ा और हुशंगाबाद के कुछ हिस्सों में भी इसका प्रचार है।

हिसार, झींद, रोहतक, करनाल आदि जिलों में बाँगरू भाषा बोली जाती है। दिल्ली के आसपास की भी यही भाषा है।

दक्षिणी हिन्दी बोलनेवाले मुंबई, बरीदा, बरार, मध्य प्रदेश, कोचीन, कुग, हैदराबाद, चेन्नई, माइसूर और ट्रावनकोर

तक फैले हैं। इन क्षेत्रों के लोग मुझे या मुझको की जगह 'मेरे को' बोलते हैं।

भारत की भाषाओं की सूची		
क्र. सं.	भाषाएँ	बोलनेवालों का अनुपात % में
1	संस्कृत	0.01
2	मैथिली	0.9
3	मराठी	7.5
4	नेपाली	0.3
5	पंजाबी	2.8
6	संथाली	0.6
7	मलयालम	3.6
8	मणिपुरी	0.2
9	असमिया	1.6
10	ओडिया	3.4
11	गुजराती	4.9
12	कश्मीरी	0.5
13	कन्नड	3.9
14	डोगरी	0.2
15	कोंकणी	0.2
16	बांग्ला	8.3
17	तमिल	6.3
18	सिंधी	0.3
19	उर्दू	5.2
20	बोडो	0.1
21	तेलुगू	7.9
22	हिन्दी	40.2

देवनागरी लिपि

'हिन्दी' और 'संस्कृत' देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 'देवनागरी लिपि' का विकास 'ब्राह्मी लिपि' से हुआ, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात नरेश जयभट्ट के एक शिलालेख में मिलता है। 8वीं एवं 9वीं शदी में क्रमशः राष्ट्रकूट नरेशों बडौदा के ध्रुवराज ने अपने देशों में इसका प्रयोग किया था। महाराष्ट्र में इसे 'बालबोध' के नाम से संबोधित किया गया।

देवनागरी लिपि पर तीन भाषाओं का बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा।

(i) फारसी प्रभाव : पहले देवनागरी लिपि में जिह्मामुलीय ध्वनियों को अंकित करने के चिह्न नहीं थे, जो बाद में फारसी से प्रभावित होकर विकसित हुए- क, ख, ग, ज, फ।

(ii) बांग्ला-प्रभाव : गोल-गोल लिखने की परम्परा बांग्ला लिपि के प्रभाव के कारण शुरू हुई।

(iii) शैमन-प्रभाव : इससे प्रभावित हो विभिन्न विशम-चिह्नों, जैसे--श्लेष विशम, ऋद्धिविशम, प्रश्नसूचक चिह्न, विश्मयसूचक चिह्न, उद्धरण चिह्न एवं पूर्ण विशम में 'खडी पाई' की जगह 'बिन्दु' (चपडज) का प्रयोग होने लगा ।

देवनागरी लिपि की विशेषताएँ :

- इसके ध्वनिक्रम पूर्णतया वैज्ञानिक हैं ।
- प्रत्येक वर्ग में ऋघोष फिर शघोष वर्ण हैं ।
- वर्णों की श्रुतिम ध्वनियाँ नाशिक्य हैं ।
- छपाई एवं लिखाई दोनों समान हैं ।
- ह्रस्व एवं दीर्घ में स्वर बँट हैं ।
- निश्चित मात्राएँ हैं ।
- उच्चारण एवं प्रयोग में समानता है ।
- प्रत्येक के लिए श्लग लिपि चिह्न हैं ।

ध्वनि

'ध्वानि' का अर्थ है-वर्ण या भाषा की लघुतम इकाई । इसका खंड या टुकडा नहीं हो सकता । अर्थात् 'वर्ण वह मूल ध्वनि है, जिसका खंड नहीं होता ।' वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को 'वर्णमाला' कहते हैं । हिन्दी वर्णमाला में कुल 46 वर्ण हैं-

1. स्वर वर्ण (11)

अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ र औ ।
 स्वर वर्णों का उच्चारण बिना ठके लगातार होता है । ऊपर के किररी वर्ण का उच्चारण लगातार किया जा सकता है सिर्फ 'ऋ' वर्ण को छोडकर; क्योंकि ऋ का लगातार उच्चारण करने पर 'इ' स्वर आ जाता है । उच्चारण में लगनेवाले समय के आधार पर स्वर वर्णों को दो भागों में बाँटा गया है-

(a) मूल या ह्रस्व स्वर- अ, इ, उ और ऋ

(b) दीर्घ स्वर-आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ र औ

ए : आ/आ + इ/ई (गुण होने के कारण)

ओ : आ/आ + उ/ऊ (गुण होने के कारण)

ऐ : अ/अ + ए (वृद्धि होने के कारण)

औ : अ/अ + औ (वृद्धि होने के कारण)

जाति के अनुसार स्वर वर्णों को दो भागों में रखा गया है-

(a) राजतीय/शवर्ण स्वर : इसमें सिर्फ मात्रा का अंतर होता है । ये ह्रस्व और दीर्घ के जोडेवाले होते हैं । जैसे-

अ-आ इ-ई उ-ऊ

(b) विजातीय/अशवर्ण स्वर : ये दो भिन्न उच्चारण स्थानवाले होते हैं । जैसे-

अ-इ उ-ओ आदि ।

स्वरों के प्रतिनिधि रूप, जिनसे व्यंजन वर्णों का उच्चारण हो पाता है 'मात्रा' कहते हैं ।

2. व्यंजन वर्ण (33)

व्यंजन वर्णों का उच्चारण ठक-रूक कर होता है । ये वर्ण आधी मात्रावाले होते हैं, इसलिए बिना स्वर के इनका उच्चारण अशंभव है ।

व्यंजन वर्णों को तीन भागों में बाँटा गया है-

(क) स्पर्श व्यंजन : ये वर्ण विभिन्न वागिन्द्रियों (कंठ, तालु, मुद्धा, दन्त, श्रोष्ठ आदि) से स्पर्श क कारण उच्चरित होते हैं । इसके अंतर्गत निम्नलिखित वर्ण आते हैं-

कवर्ग : क् ख् ग् घ् ङ्

चवर्ग : च् छ् ज् झ् ज्ञ्
 टवर्ग : ट् ठ् ड् ढ् ण् (ड, ढ)
 तवर्ग : त् थ् द् ध् न्
 पवर्ग : प् फ् ब् भ् म्

(ख) ऋन्तःस्थ व्यंजन : ये वर्ण स्पर्श एवं ऊष्म के बीच आते हैं। इसके अंतर्गत य्, र्, ल् और व्- ये चार ध्वनियाँ आती हैं।

(ग) ऊष्म व्यंजन : ये ऐसे वर्ण हैं, जिनके उच्चारण में विशेष घर्षण के कारण मुख से गर्म हवा निकलती है। इसके अंतर्गत थ्, ष्, श् और ह् आते हैं।

(iii) अयोगवाह वर्ण : 'अनुस्वार' और 'विराम' अयोगवाह वर्ण हैं। ये स्वर एवं व्यंजन दोनों द्वारा ढोए जाते हैं। जैसे-

ङ-ङः (स्वर द्वारा) कं-कः (व्यंजन द्वारा)
 उच्चारण में वायु-प्रक्षेप की दृष्टि से या काकल के आधार पर वर्णों के दो प्रकार हैं-

(क) अल्पप्राण : ऐसे वर्ण, जिनके उच्चारण में वायु की सामान्य मात्रा रहती है और हकार-जैसी ध्वनि बहुत ही कम होती है। इसके अंतर्गत सभी स्वर वर्ण, वर्णों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण, अनुस्वार और ऋन्तःस्थ व्यंजन आते हैं। इसकी कुल संख्या $11 + 15 + 1 + 4 = 31$ है।

(ख) महाप्राण : महाप्राण ध्वनियों के उच्चारण में वायु की पर्याप्त मात्रा होती है, जिसके कारण हकार-जैसी ध्वनि स्पष्ट दिखती है। इसके अंतर्गत सभी वर्णों के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन, विराम और ऊष्म व्यंजन आते हैं। इसकी कुल संख्या $10 + 1 + 4 = 15$ है। स्वर-तंत्री के आधार पर वर्णों को दो अन्य भागों में भी बाँटा गया है।

(क) घोष या शघोष वर्ण : घोष ध्वनियों के उच्चारण में स्वर-तंत्रियों आपस में मिल जाती हैं और वायु धक्का देते बाहर निकलती है। फलतः इंकृति पैदा होती है। इसके अंतर्गत सभी स्वर वर्णों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण, ऋन्तःस्थ और ह आते हैं।

(ख) अघोष वर्णों के उच्चारण में स्वर-तंत्रियाँ परस्पर नहीं मिलती। फलतः वायु, आशानी से निकल जाती है। इस वर्ग में वर्णों के प्रथम और द्वितीय वर्ण और तीनों श (श, ष, श) आते हैं।

आभ्यन्तर प्रयत्न के आधार पर स्वरों को चार और व्यंजनों को आठ वर्णों में रखा गया है-

स्वर	प्रकार	वर्ण
	संवृत स्वर	इ, ई, उ और ऊ

	अर्द्धसंवृत स्वर	ए, ऐ, ओ और औ
	अर्द्धविवृत स्वर	ऋ
	विवृतस्वर	आ

	प्रकार	वर्ण
	स्पर्श व्यंजन	क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, व, भ
व्यंजन	स्पर्श संघर्षी व्यंजन	न, छ, ज और झ
	संघर्षी व्यंजन	म, श, ह, ख, ग, ज, फ और व
	अनुनासिक	छ, ज, ण, न, म और अनुस्वार
	पारिर्वक	ल
	लुठित/प्रकंपी	र
	उत्क्षिप्त	ड, ढ
	अर्द्ध स्वर	य और व

उच्चारण-स्थान की दृष्टि से वर्णों को निम्नलिखित भागों में बाँटा गया है-

प्रकार	वर्ण
1. कंठ्य वर्ण	ङ, आ, कवर्ग, विराम और ह
2. तालव्य वर्ण	इ, ई, चवर्ग, य और श
3. मूर्द्धन्य वर्ण	ऋ, टवर्ग, र और ष
4. दंत्य वर्ण	तवर्ग और ल
5. वदर्य वर्ण	ल
6. श्रोष्ठ्य वर्ण	उ, ऊ और पवर्ग
7. कष्ठ-तालव्य वर्ण	ए और ऐ
8. कण्ठोष्ठ्य वर्ण	ओ और औ
9. दन्तोष्ठ्य वर्ण	व
10. नासिक्य वर्ण	पंचमाक्षर और अनुस्वार
11. अलिजिह्व वर्ण	क, ख, ग, ज और फ

उच्चारण करने की स्थिति में एक ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि क्रमशः आती रहती है और ध्वनियों के मध्य आवश्यकतानुसार अल्पकालिक विराम की अवस्था आती है। इसी को 'संगम' कहा जाता है। इस एक ध्वनि से दूसरी ध्वनि पर जाने के दो तरीके होते हैं-

(क) कभी कता सीधे पहली से दूसरी ध्वनि पर चला जाता है। जैसे -

तुम् (तुम्हारा के उच्चारण में)

(ख) कभी कला थोड़ा थ्याड़ा समय लता है । जैसे-
 तुम हारे (तुम्हारे के उच्चारण में)
 संगम के लिए किसी विराम चिन्ह की आवश्यकता नहीं
 पडती है । इसके प्रयोग से शब्दों या वाक्यों के अर्थों में
 भिन्नता आ सकती है । जैसे-

नफीस - शुद्धर (एक साथ उच्चारित होने पर)
 न फीस-निःशुल्क (अलग-अलग उच्चारित होने पर)
 लीना- श्वर्ण ली ना- मत ली

वाक्यों में प्रयोग देखें-

वह बैलगाडी खींचता है । (कोई व्यक्ति)

वह बैल गाडी खींचता है । (बैल के बारे में)

उच्चारण के समय जब श्वरों पर अधिक बल पडता है तब
 उसे बलाघात या श्वराघात कहा जाता है ।

यह तीन तरह का होता है-

1. वर्ण-बलाघात : इससे अर्थ में अंतर आ जाता है
 जैसे-पिट-पीट, लुट-लूट
 इन उदाहरणों में स्पष्ट देखा जा रहा है कि 'पि' और
 'लु' पर बलाघात के कारण अर्थ अंतर आ गया है ।
2. शब्द-बलाघात : इससे वाक्यों के अर्थों में स्पष्टता
 आती है ।
3. वाक्य-बलाघात: इसमें वाक्य के भिन्न-भिन्न पदों पर
 बलाघात के कारण भावों में अंतर देखा जाता है ।

ध्वनियों की उस छोटी से छोटी इकाई को 'अक्षर'
 कह जाता है, जिसका उच्चारण एक झटके में होता
 है । जैसे-

आ- एक ध्वनिवाला अक्षर
 खा- दो ध्वनियों वाला अक्षर
 बैठ- तीन ध्वनियों वाला अक्षर

अक्षर दो प्रकार के होते हैं-

1. बद्धाक्षर : जिसकी अंतिम ध्वनि हलंतयुक्त हो । जैसे-
 श्रीमान्, जगत, परिषद् आदि ।
 2. मुक्ताक्षर : जिसकी अंतिम ध्वनि श्वर हो । जैसे-
 खा, ला, पी, जा, जगत आदि ।
- जब कोई व्यंजन वर्ण श्वर से ही संयोग करे, तो वह
 'युग्मक ध्वनि' और जब किसी अन्य व्यंजन वर्ण से संयोग
 करे तो वह 'व्यंजन गुच्छ कहलाता है ।

शॉर्ट ट्रिक


वर्णों के उच्चारण स्थान के लिए इसे याद कर लें
 'अकह विशर्ग' कण्ठराम । 'इचयश' भी है तालु राम ॥

'ऋटष' से जानो मूर्द्धा जी । 'लृतर' पुकारो दंत जी ॥
 'उप' आते हैं श्रोष्ठ में । केवल 'व' दंतोष्ठ में ॥
 'ए-ऐ' कहे कण्ठ-तालु । 'ओ-औ' कहे कण्ठोष्ठ में ॥
 नाशिका से पंचमाक्षर । जिह्वा रखो प्रकोष्ठ में ॥

संज्ञा

परिभाषा :-

संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है- 'सम् + ज्ञा' अर्थात् सम्यक् ज्ञान करने वाला क्रतु: किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, वर्ग, भाव स्थिति आदि का परिचय करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का पर्याय है- नाम। किसी व्यक्ति (प्राणी), वस्तु स्थान, स्थिति, वर्ग, भाव, विचार के नाम को संज्ञा कहते हैं।



संज्ञा के भेद:-

व्यक्ति, गुण, वस्तु, भाव, स्थान आदि के आधार पर संज्ञा के तीन भेद माने गए हैं -

1. व्यक्तिवाचक संज्ञा:-

जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे - गौतम बुद्ध, हिमालय, ताजमहल, सीता, गंगा, जयपुर, रामायण आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषता यह है कि (1) यह दुनिया में एक ही होती है और (2) इसको हम पहले से जानने के आधार पर ही पहचान सकते हैं। गंगा/ताजमहल/रामायण को यदि हमने पहले से देखा है, समझा है तभी हम पहचान सकते हैं कि यह नदी तो गंगा है, यह भवन ताजमहल है, यह पुस्तक रामायण है, अज्ञानक पहली बार देखने से नहीं।

2. जातिवाचक संज्ञा :-

जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति/वर्ग (Class) का बोध कराता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे- लडका, पर्वत, पुस्तक, घर, नगर, झरना, कुत्ता आदि।

जातिवाचक संज्ञा तो एक वर्ग है और दुनिया में उसकी इकाईयाँ अनेक होती हैं। लडका जातिवाचक संज्ञा है और दुनिया में लडका वर्ग के अनेक विद्यमान हैं। जातिवाचक

संज्ञा का आधार है- वस्तु आदि का समान गुण, और पहले से उन वर्ग गुणों का ज्ञान होने पर वैसे ही गुण अन्वय किसी में पहचान कर नई वस्तु/प्राणी को भी हम तुरन्त पहचान लेते हैं।

प्रश्न:- नीचे लिखे शब्दों को व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के रूप में छांटिए-

ब्रह्मपुत्र, पत्थर, संगमरमर, ब्रेनाइट, फूल, कमल, हिमालय, अनाज, गेहूँ, कल्याणशीला (गेहूँ),

गाय, जर्सी गाय, फल आम, लैंगडा आम।

उत्तर:- ऊपर के शब्दों में केवल ब्रह्मपुत्र और हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ हैं शेष सभी जातिवाचक हैं दुनिया में व्यक्तिवाचक संज्ञा केवल एक होती है और जातिवाचक-अनेक।

1. द्रव्यवाचक :-

किसी पदार्थ या द्रव्य (द्रव यानी बहने वाली वस्तु-पानी, तेल, आदि, द्रव्य यानी पदार्थ जैसे- मिट्टी, चीनी, तेल आदि) का बोध करने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे- लोहा, शीला, घी, मिट्टी, तेल, दूध, लकड़ी, ऊन आदि।

इन संज्ञाओं हम गिन नहीं सकते। दो लोहा, चार शीला आदि नहीं कर सकते, ये अगणनीय संज्ञाएँ हैं और ये मात्रात्मक या परिमाणात्मक हैं। इनमें से कुछ बहुवचन बनते हैं जैसे- मिट्टी, मिट्टियाँ, लकड़ी-लकड़ियाँ आदि।

2. समूहवाचक :-

ये संज्ञाएँ अनेक गणनीय संज्ञाओं के समूह से बनती हैं, और वे एकवचन एवं बहुवचन दोनों रूपों में (शेना/शेनाएँ, कक्षा/कक्षाएँ) प्रयुक्त हो सकती हैं। ये शब्द किसी व्यक्ति के वाचक न होकर समूह या समुदाय के वाचक होते हैं, जैसे- शेना, कक्षा, मंडली, जुलूस, परिवार, पुस्तकालय आदि।

3. भाववाचक संज्ञा :-

जिन शब्दों से व्यक्तियों/पदार्थों के धर्म (Nature), गुण, दोष अवस्था (State), व्यापार (Activity), भाव स्वभाव या अवधारणा (Concept), विचार आदि का बोध होता है, वे भाववाचक संज्ञाएँ कहलाती हैं, जैसे कोमलता, बचपन, लम्बाई, बुढ़ापा, शत्रुता, शलाह, मातृत्व, श्रौचित्य, दासता, मित्रता आदि।

भाववाचक संज्ञाएँ पाँच प्रकार के शब्दों से बनती हैं :-

1. जातिवाचक शंज्ञा से (विभिन्न तद्धित प्रत्यय लगकर)-

लडका-लडकपन, मित्र-मित्रता, पशु-पशुता, आदमी-आदमीयत, चिकित्सक-चिकित्सा, चोर-चोरी, तरुण-तरुणाई, पुरुष-पुरुषत्व, मर्द-मर्दानगी आदि ।

2. सर्वनाम से (विभिन्न तद्धित प्रत्यय लगकर)-

मिज-मिजत्व, रूपना-रूपनापन, सर्व-सर्वत्व, अहम्-अहंकार, मम-ममता, ममत्व आदि ।

3. विशेषण से (विभिन्न तद्धित प्रत्यय लगकर)-

बूढ़ा-बुढ़ापा, चतुर-चतुरता/चतुराई, मीठा-मीठास, मधुर-मधुरता/माधुर्य, खट्टा-खट्टास/खट्टापन, अरुण-अरुणमा, कंजुश-कंजुशी, उचित-औचित्य, लघु-लघुता, आलसी-आलस्य, विद्वान-विद्वता गरीब-गरीबी, भूखा-भूख, परिष्कार, धीर-धीर्य/धीरज आदि ।

4. क्रिया से शंज्ञा - (विभिन्न कृत प्रत्यय लगकर)-

चढ़ना-चढ़ाई, चलना-चाल, दौड़ना-दौड़, राजाना-राजावट, उतारना-उतार, कमाना-कमाई, गाना-गान, जीना-जीवन, झुकना-झुकाव, खेलना-खेल, थकना-थकान, पहुंचना-पहुंच, जीतना-जीत, मिलाना-मिलावट, हँसना-हँसी, पीना-पान आदि ।

5. अव्यय से - निकट-निकटता, दूर- दूरी, नीचे-नीचता, ऊपर-ऊपरी, धिक्-धिक्कार आदि ।

इस प्रकार ता, त्व, पन, ई, आई, आ, इयत, आहट, त, य आदि प्रत्यय लगाने से अव्यय शब्द भाववाचक शंज्ञाओं में परिवर्तित हो जाते हैं । हिन्दी में शंज्ञाएँ लिङ्ग, वचन तथा कारक द्वारा रूपना रूप निर्धारण करती हैं । ये शंज्ञा के विकारक तत्व कहलाते हैं ।

सर्वनाम


परिभाषा-

शंज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं -

जैसे- मैं, तुम, वह, कौन, कोई, क्या आदि ।

सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है- 'शब्दका नाम' अर्थात् जो शब्द शब्दके नामों के स्थान पर लडका/लडकी/कमरा आदि सभी शंज्ञाओं के लिए प्रयुक्त होते हैं, वे सर्वनाम कहलाते हैं ।

यह पुनरुक्ति दोषको मिटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ।



1. पुरुषवाचक सर्वनाम (Personal Pronoun)-

वक्ता, श्रोता या किसी अव्यय के लिए जाने वाले कथन (पुरुष) हेतु जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं । इसी आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन प्रकार माने गए हैं -

➤ **उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम (First Person)-**

जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला (वक्ता) या लिखनेवाला (लेखक) अपने लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं । मैं, मेरी, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमारी, हमको आदि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं, जैसे -

- मैं अपने स्कूल गया ।
- हम प्रदर्शनी देखने जाएँगे ।
- इस विषय में हमारा बोलना ठीक नहीं ।

➤ **मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम (Second Person)-**

वक्ता या लेखक सुनने वाले (श्रोता) या पढ़नेवाले (पाठक) के लिए किए जाने वाले

कथन हेतु जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तू, तुम, तेरा, तेरी, तुम्हारा, तुझे, तुम्हें, आप, आपका, आपकी, आपना, आपनी, आपको, अपने आदि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। वाक्यों में इनका प्रयोग निम्नलिखित प्रकार के देखा जा सकता है।

1. तू बहुत अच्छा लिखती है।
2. तुम्हें गुरु जी ने बुलाया है।
3. आप सबके लिए पूजनीय हैं।
4. पहले अपने देखो।

अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम (Third Person)- जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता या लेखक, वक्ता एवं श्रोता को छोड़कर किसी अन्य के लिए किए जाने वाले कथन हेतु किया जाता है, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, ये, वे उसका, उसकी, इसे, उसे, इन्हें, उन्हें, उनका, उनकी, उनको, उसको आदि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं जैसे:-

- वह शीते-शीते शो गई।
- उसको बुलाकर समझाओं।
- उन्हें अपनी गलती पर पछतावा है।

2. निश्चयवाचक सर्वनाम (Demonstrative Pronoun)-

जिन सर्वनामों के द्वारा दूरवर्ती या समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और निश्चित घटना व्यापार का बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे-

- यह कौन है? यह तो श्याम है। (यहाँ 'यह' की और संकेत है, 'यह' पर जोर है।)
- ये रहे वे जिन्हें मैं ढूँढ रहा था।
- गीता का घर वह है।
- वे जो बैठी हैं, अध्यापिकाएँ हैं।

इन वाक्यों में यह, वह, ये, वे, निश्चयवाचक सर्वनाम हैं तथा यह, ये समीपवर्ती तथा वह वे सर्वनाम दूरवर्ती संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त हुए हैं।

3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम (Indefinite Pronoun)-

किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना, या व्यापार के लिए प्रयोग में आने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे- कोई किसी, कुछ। शरीर प्राणियों के लिए 'कोई', 'किसी' और निजीव पदार्थों के लिए 'कुछ' सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है जैसे-

- शायद बाहर कोई आया है (व्यक्ति)
- किसी (व्यक्ति) से कुछ (वस्तु) मत लो।
- हमें कुछ तो खाना पड़ेगा। (वस्तु)

4. प्रश्नवाचक सर्वनाम (Interrogative Pronoun)-

किसी वस्तु, घटना या व्यापार के विषय में प्रश्न का बोध करने वाले शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कौन, किसे, किसने, क्या आदि शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। इनमें भी कौन, किसे, किसने, किससे का प्रयोग व्यक्तियों के लिए और 'क्या, किसे, किससे' वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है उदाहरणार्थ-

- कवियों को किसने आमंत्रित किया था? (व्यक्ति)
- बाजार जाने के लिए किसे कहूँ? (व्यक्ति)
- बाहर कौन आया है? (व्यक्ति)
- आप चाय के साथ क्या लेंगे? (वस्तु)
- तुम किससे लिखोगे? (वस्तु)

5. संबंधवाचक सर्वनाम (Relative Pronoun)-

जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग एक शब्द/वाक्यांश का दूसरे शब्द / वाक्यांश से संबंध प्रकट करने के लिए (जो-सो) किया जाता है या जो प्रधान उपवाक्य से आश्रित उपवाक्यों का संबंध जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जो-सो, जिससे, वह, जो-वह, जैसा-वैसा, जिसको-उसको, जिससे-उससे आदि शब्द संबंधवाचक सर्वनाम हैं, जैसे-

- जैसी करनी वैसी भरनी।
- जिससे देखो, वही अत्यधिक व्यस्त है।
- जिसकी लंबी चादर, उतने ही पैर पसारिएँ।

6. निजवाचक सर्वनाम (Reflexive Pronoun)-

ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता के लिए या कर्ता के साथ अपनत्व प्रकट करने के लिए किया जाता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ विद्वान निजवाचक सर्वनाम के वस्तुतः पुरुषवाचक सर्वनाम का ही एक भेद मानते हैं, और कुछ अलग। आप, अपने-आप, स्वयं, खुद स्वतः निज आदि निजवाचक सर्वनाम हैं यथा-

- मैं अपने-आप कार्यालय ढूँढ लूँगा।
- उसने खुद/स्वयं/स्वतः ही परेशानी मोल ले ली है।
- आप स्वयं चलकर निरीक्षण कर लीजिए।

इस प्रकार उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त अपने-आप, स्वयं, खुद निजवाचक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीनों पुरुषों में (उत्तम, अन्य, मध्यम) में हो रहा है।

विशेषण

परिभाषा:-

विशेषण वह शब्द-भेद है, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे-

1. काली गाय अधिक दूध देती है।
 - योग्य व्यक्ति शदेव आदर के पात्र होते हैं।
 - कुछ लोग यहाँ आ रहे हैं।
 - दो बच्चे खेल रहे हैं।

उपर्युक्त वाक्यों में 'काली' 'अधिक', 'योग्य' विशेषण क्रमशः गाय, दूध, व्यक्ति संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं। इसी प्रकार 'कुछ' एवं 'दो' भी 'लोग' व 'बच्चों' (संज्ञाओं) के विशेषण हैं।

विशेषण और विशेष्य- जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं, वे 'विशेषण' और जिन संज्ञाओं या सर्वनामों की विशेषता प्रकट की जाती है, वे शब्द 'विशेष्य' कहलाते हैं।

विशेषण के भेद :- संज्ञा की विशेषता के प्रकार के आधार पर विशेषण के चार भेद माने गए हैं-



1. **गुणवाचक विशेषण :-** जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम (विशेष्य) के गुण-आकार, रंग, दशा, काल, स्थान आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं जैसे-

गुण/दोष:- अच्छा, बुरा, शरल, कुटिल, ईमानदार, शच्चा, बेईमान, झूठा, दानवीर, शिष्ट दयालु, कृपालु, कंजूस, शांत, चतुर, गुरुरैल आदि।

आकार:- लंबा, छोटा, चौड़ा, चौकोर, तिकोना, गोल बडा, ठिगना, नाटा, अँचा, नीचा, अंडाकार, त्रिभुजाकार आदि।

रंग:- काला, पीला, लाल, शफेद, नीला, गुलाबी, हरा, सुनहरा, चमकीला, आशमानी आदि।

स्वाद:- खटटा, मीठा, कडवा, नमकीन, कसैला, तीखा आदि।

स्पर्श:- कठोर, नरम, खुरदरा, कोमल, चिकना, गरम आदि।

गंध:- सुगंधित, दुर्गंधपूर्ण, बदबूदार, खुशनुमा, सोंधा, गंधहीन।

दिशा:- उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, पश्चात्य, भीतरी, बाहरी आदि।

दशा:- नया, पुराना, जीर्ण-शीर्ण, पिलपिला, ढीला, स्वस्थ, रोगी, सूखा, गाढा, पतला, पिछला, जमा आदि।

काल:- प्राचीन, नवीन, आधुनिक, भावी, ऐतिहासिक, साप्ताहिक, मासिक, सुबह का भूला, नया, पुराना, ताजा आदि।

स्थान:- ग्रामीण, भारतीय, रूसी, जापानी, बनारसी, देशी, विदेशी, बाहरी, तुर्की, वन्य, पहाडी, मैदानी, आदि।

अवस्था:- युवा, बूढा, तरुण, प्रौढ, अघेड, मुग्धा, धीर, गंभीर, अघीर, सहनशील आदि।

वाक्यों में कुछ उदाहरण हैं-

- अधिक गर्म दूध नहीं पीना चाहिए।
- आम मीठा है।
- संगमरमर चिकना पत्थर है।
- आँखों की ज्योति के लिए हरा रंग अच्छा माना गया है।

उपर्युक्त वाक्यों में गर्म, मीठा, चिकना, हरा गुणवाचक विशेषण हैं जो क्रमशः दूध की अवस्था, आम के स्वाद, पत्थर का स्पर्शबोध और रंग के गुण को व्यक्त रहे हैं।

2. **संख्यावाचक विशेषण :-** गणनीय संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध करानेवाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे-

- कक्षा में पचास लडके अध्ययन करते हैं।
- माता जी ने एक दर्जन केले खरीदे हैं।
- झगडे में कई लोग मारे गए हैं।

उपर्युक्त उदाहरणों में पचास, एक दर्जन, कई संख्यावाचक विशेषण हैं जो कि क्रमशः लडके, केले, लोग संज्ञाओं की संख्यागत विशेषता का बोध कराते हैं। जातिवाचक या भाववाचक होता है।

संख्यावाचक विशेषण के भेद :- संख्यावाचक विशेषण के विशेष्य की निश्चित और अनिश्चित संख्या के आधार पर दो भेद किए गए हैं।

- निश्चित संख्यावाचक
- अनिश्चित संख्यावाचक

(क) **निश्चित संख्यावाचक :-** जहाँ विशेषण की निश्चित संख्या का बोध होता है।

- कक्षा में दस विद्यार्थी आए हैं।
- दो दर्जन केले बीस रुपये के हैं।

• श्राधा दस्वाजा खुला हुआ है।
 इन वाक्यों में श्राए हुये दस, दो दर्जन, श्राधा शब्द निश्चित संख्या का बोध करते हैं।
 संख्यावाचक विशेषणों में अपूर्णाक विशेषण- श्राधा, पौन, डेढ, एक चौथाई आदि तथा क्रमवाची विशेषण जैसे- पहला, दशवाँ आदि, गुणा/ श्रावृत्तिवाचक विशेषण, जैसे- दुगुना, चौगुना, समूहवाचक विशेषण, जैसे- दोनो, चारो तथा प्रत्येकवाचक जैसे प्रति व्यक्ति, हर श्रादमी आदि होते हैं।

(ख) अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण :- जो विशेषण संज्ञा या शर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध न कराकर उनकी संख्या का अस्पष्ट अनुमान प्रस्तुत करते हैं, वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, जैसे- कुछ, कई, थोडे, कम, बहुत, काफी, अगणित, दशियों, हजारी, अधिक, कोई-सौ, सौ-एक, करीब सौ, कोई दो सौ इत्यादि। वाक्यों में कतिपय उदाहरण निम्नलिखित हैं-

- कुछ लडके मैदान में खेल रहे हैं।
- मेरे पास बहुत से रुपये हैं।
- बस थोडे पन्ने लिखने बाकी हैं।
- ट्रेन-दुर्घटना में सैकड़ों व्यक्ति मारे गए।
- लडक पर कोई-सौ लडके खडे थे।

इन वाक्यों में कुछ, बहुत-से, थोडे, सैकड़ों, कोई-सौ अनिश्चित संख्याओं का बोध करते हैं।

3. परिमाणवाचक :- मात्रात्मक, द्व्यवाचक संज्ञा या शर्वनाम की माप-तौल संबंधी विशेषता को प्रकट करने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे-

- पहलवान प्रतिदिन पाँच लीटर दूध पी जाता है।
- भिखारी को थोडा श्राटा दे दो।

यहां 'पाँच लीटर दूध' 'थोडा श्राटा' व श्राटे का माप है जो गण्य नहीं है, केवल मापा जा सकता है, अतः वे परिमाणवाचक विशेषण हैं।

परिमाणवाचक विशेषण माप-तौल की निश्चितता व अनिश्चितता के श्राधार पर दो प्रकार के माने गए हैं-

(क) निश्चित परिमाणवाचक- जो संज्ञा या शर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध करते हैं, उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, यथा-

- चार लीटर दूध लेकर आओ।
- बाजार से दस किलो चीनी ले आना।
- यह चैन पंद्रह ग्राम सोने की है।
- उसके पास बीस एकड जमीन है।
- हमे दस ट्रक भूसा चाहिए।

उपर्युक्त वाक्यों में चार लीटर, दस किलो, पंद्रह ग्राम, बीस एकड, दस ट्रक क्रमशः दूध, चीनी, सोना, जमीन और भूसे के निश्चित माप हैं, इसलिए ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं।

(ख) अनिश्चित परिमाणवाचक- जिन विशेषणों के द्वारा संज्ञा या शर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध न होकर अनिश्चित परिमाण का बोध होता है, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं जैसे-

- वह ढेर सारा मक्खन खा गया। (अनिश्चित मक्खन)
- मुझे भी कुछ नाश्ता दे दो।
- थोडा पानी देना।
- जरा-सा श्राचार दे दो।
- यहाँ ढेरों आम पडे हैं।

उपर्युक्त उदाहरणों में 'ढेर सारा', कुछ, थोडा, जरा-सा, ढेरों अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हैं, जो क्रमशः मक्खन, नाश्ता, पानी, श्राचार, आम की अनिश्चित माप का बोध करते हैं। अधिक मात्रा का बोध करने के लिए परिमाणवाचक विशेषण के साथ 'औ' जोड दिया जाता है।

4. शर्वनामिक विशेषण :- जो शर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने के बजाय संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें शर्वनामिक विशेषण कहते हैं।

शर्वनामिक विशेषण के चार भेद :-

(क) निश्चयवाचक/संकेतवाचक शर्वनामिक विशेषण

:- जिनसे संज्ञा या शर्वनाम निश्चयवाचकता का संकेत होता है, यथा

- उस व्यक्ति को बुलाइए। (व्यक्ति विशेष की ओर संकेत है)
- क्या यह पुस्तक तुम्हारी है? (पुस्तक की ओर संकेत है)

(ख) अनिश्चयवाचक शर्वनामिक विशेषण :- इनसे संज्ञा या शर्वनाम की अनिश्चयवाचकता का बोध होता है, जैसे:-

- वहाँ कुछ भी वस्तु खाने के लिए नहीं मिलेगी
- छत पर कोई व्यक्ति खडा है।

(ग) प्रश्नवाचक शर्वनामिक विशेषण :- इन विशेषणों से संज्ञा या शर्वनाम से संबंधित प्रश्नों का बोध होता है जैसे :-

- वहाँ मैदान में कौन छत्र दौंड रहा है?


- तुम्हारे लिए बाजार से क्या चीज लाऊँ ?
- तुम्हें किस लडके ने मारा है ?

उपर्युक्त उदाहरणों में प्रयुक्त 'कौन' 'क्या' 'किस' आदि शब्दों के पहले लगे हैं तथा विशेष्य से संबंधित प्रश्नों का बोध करा रहे हैं।

(घ) संबंधवाचक शार्वनामिक विशेषण :- जिन विशेषणों से एक शब्द या शब्दनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्द या शब्दनाम शब्द के साथ जोड़ा जाता है जैसे:-

- जो घड़ी मैंने कल खरीदी थी, वह खो गई है।
- जिस कार्य को करने से नुकसान होता है, उस पर विचार करना मूर्खता है।
- वह व्यक्ति सामने जा रहा है, जिससे तुम्हारा झगडा हुआ था।

इन उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट है कि जो-वह, जिस-उस, वह-जिससे शार्वनामिक विशेषणों का संबंध वाक्यों में प्रयुक्त अन्य विशेषणों- क्रमशः घड़ी, कार्य और व्यक्ति से स्थापित किया गया है।



क्रिया

वाक्य में जिस शब्द-समूह से किसी कार्य को करने श्रवण होने का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं, जैसे:-

- मोहन खाना खा रहा है ।
- हवा बह रही है । (करना-हवा बहने की क्रिया कर रही है ।)
- पुस्तक शलमारी में है । (होना)

उपर्युक्त वाक्यों में 'खा रहा है', 'बह रही है', 'है' क्रियापद हैं ।

वाक्य में कर्म की संभावना के आधार पर भेद :-

अकर्मक और शकर्मक क्रिया:- किसी क्रिया के करने हेतु कर्म की आवश्यकता/संभावना होने या न होने के आधार पर क्रिया के मुख्यतः दो भेद हैं - शकर्मक और अकर्मक ।

(क) अकर्मक क्रिया :- जिस वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर न पडकर केवल कर्ता पर ही पडता है अर्थात् जिस क्रिया के करने में कर्म की आवश्यकता ही नहीं होती है, बिना किसी कर्म के क्रिया सम्पन्न हो सकती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे:-

- नरेश दौड रहा है ।
- चिडिया उड रही है ।
- बच्चा रोता है ।

उपर्युक्त वाक्यों में 'दौड रहा है', 'उड रही है', 'रोता है' क्रियाओं के फल का प्रभाव क्रमशः नरेश, चिडिया और बच्चा कर्ता-पदों पर ही पडता है और ये क्रियाएँ बिना किसी कर्म के क्रिया केवल कर्ता के द्वारा ही सम्पन्न हो सकती हैं ।

(ख) शकर्मक क्रिया :- जहाँ क्रिया के घटित होने की प्रक्रिया में कर्म की आवश्यकता होती ही है, उसे शकर्मक क्रिया कहते हैं । शकर्मक क्रिया कर्म के बिना सम्पन्न हो ही नहीं सकती, जैसे :-

1. राम पत्र लिखता है ।
2. लडके ने बेर खाए ।
3. मोहित पानी पीता है ।
4. अध्यापक प्रश्न पूछते हैं ।

उपर्युक्त वाक्यों में 'लिखना', 'खाना', 'पीना', 'पूछना' क्रियाओं का प्रभाव क्रमशः पत्र, बेर, पानी व प्रश्न पूछा जाता है और उसका कोई-न-कोई उत्तर अवश्य आता है और वह उत्तर ही कर्म होता है, और वह क्रिया शकर्मक होती है, राम क्या लिखता है ? (पत्र), लडके ने क्या खाए ? (बेर), मोहित ने क्या पिया ? (पानी) ।

क्रिया की पूर्णता के आधार पर भेद :-

अपूर्ण क्रिया - कुछ क्रियाओं का अपने-आपमें अर्थ पूर्ण ही नहीं होता, इसलिए अर्थ पूर्ण करने के लिए किसी अन्य 'पूरक' शब्द पर निर्भर होना होता है जो क्रिया न होकर संज्ञा या विशेषण पद होता है, ऐसी क्रियाओं को अपूर्ण क्रिया कहते हैं, अर्थात् क्रिया अपना अर्थ स्वयं न देकर संज्ञा, विशेषण पद से ही दे पाती है, जैसे-

- अजीत श्याम को मूर्ख समझता है । ('मूर्ख'- विशेषण के बिना क्रिया 'समझता है' का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा ।)
- अशोक जी हमारे गुरु थे । (गुरु-संज्ञापद के बिना 'थे' का अर्थ स्पष्ट नहीं होता ।)

स्पष्ट है कि इन वाक्यों में प्रयुक्त पूरक (मूर्ख, गुरु-दोनों संज्ञापद) का लोप कर देने से वाक्य में पूर्णता नहीं आती । ऐसे पूरक कर्मपूरक कहे जाते हैं, जो विशेषण और संज्ञा दोनों ही हो सकते हैं ।

पूर्ण क्रिया - जिस क्रिया-पद से क्रिया का अर्थ स्पष्ट हो जाए, पूरक के रूप में गैर-क्रियापद (संज्ञा-विशेषण) की आवश्यकता नहीं हो, उसे पूर्ण क्रिया कहते हैं, जैसे :-

1. लडका रोता है ।
2. लडका पढता है ।

यहाँ 'रोता है', 'पढता है' क्रियापद से पूर्ण अर्थ निकल जाता है । ये दोनों पद क्रियापद ही हैं । अतः ये पूर्ण क्रियाएँ हैं ।

क्रिया की संरचना के आधार पर भेद :-

प्रेरणार्थक क्रिया - जहाँ कर्ता खुद क्रिया को न करके दूसरे को क्रिया करने की प्रेरणा देता है वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है । यहाँ कर्ता भी क्रिया तो करता है किन्तु वह प्रेरणा देने की क्रिया करता है । प्रेरणार्थक क्रियाओं में 'वा' लगता है ।

- नरेश ने नाई से बाल कटवाए ।
- सुनीता ने श्रवणा से पत्र लिखवाया ।
- मोहन ने माली से दूब कटवाई ।

सभी प्रेरणार्थक क्रियाएँ शकर्मक होती हैं ।

मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रिया- मुख्य क्रिया के अर्थ को पूरा करने में सहायता करने वाला क्रियापद सहायक क्रिया कहलाता है, जैसे -

- मैं गया हुआ था । (यहाँ गया मुख्य क्रिया है तथा हुआ था सहायक क्रिया है ।)
- सुरेश चुन रहा था । (चुन- मुख्य क्रिया है तथा रहा था- सहायक क्रियाएँ)

नामधातु क्रिया:- जब संज्ञा एवं विशेषण अर्थात् नामपद शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़ने पर किसी क्रिया का निर्माण होता है, तब वह नामधातु क्रिया होती है जैसे :-

- लैठ ने मकान हथियाया । (हाथ-संज्ञापद)
- मुझ पर दृश्य फिल्माया । (फिल्म-संज्ञापद)
- लडकी बतियाई । (बात संज्ञापद)

पूर्वकालिक क्रिया:- जब कर्ता एक कार्य समाप्त कर उठी पल दूसरा कार्य आरम्भ करता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया के अंत में कर लगता है- लौकर, उठकर, जाकर आदि।

- बच्चे दूध पीकर लौ गए । (लौने से पहले दूध पीया।)
- रमेश खाना खाकर विद्यालय गया।
- रमेश खाना खाने के बाद विद्यालय गया।

लेकिन 'रमेश ने खाना खाया और उसके बाद विद्यालय गया' वाक्य में पहली क्रिया पूर्वकालिक नहीं है, बल्कि दोनों ही क्रियाएँ स्वतंत्र क्रियाएँ हैं क्योंकि दोनों क्रियाएँ दो अलग-अलग उपवाक्यों की क्रियाएँ हैं।

तात्कालिक क्रिया:- यह क्रिया भी मुख्य क्रिया से पहले सम्पन्न हो जाती है। इसमें और मुख्य क्रिया में समय का अंतर नहीं होता, किन्तु पहली क्रिया के घटने के तत्काल बाद दूसरी क्रिया के घटने का बोध होता है जो 'ही' निपात से संभव होता है।

- वह खाना खाते ही (तात्कालिक क्रिया) लौ गया।
- वह नहाने ही (तात्कालिक क्रिया) मंदिर चला गया।

संयुक्त क्रिया:- जब दो या दो से अधिक क्रिया-धातुओं के योग क्रियापद बनता है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया में कई क्रियाओं के संयुक्त हो जाने से एक क्रिया का अर्थ निकलता है, जैसे :-

- वह खाना खा चुका होगा।
- दीक्षा लिखा करती होगी।
- पानी बरतने लगा है।
- मैं यहाँ रोज आ जाया करता हूँ।
- दोपहर में लोग लौ रहे होते हैं।

इन सभी वाक्यों में पहला क्रियापद मुख्य क्रिया है तथा बाद के सभी क्रियापद सहायक क्रियाएँ हैं और मुख्य क्रिया तथा सहायक क्रियाओं को मिलाकर बने क्रियापद-समूह संयुक्त क्रियाएँ हैं। सहायक क्रिया एक भी हो सकती है। (पढ़ता है) और एक से अधिक भी जैसा कि ऊपर के वाक्यों में है।

काल

प्रायः लोग काल और समय को एक ही मान लेते हैं परन्तु ये एक नहीं हैं। समय एक भौतिक इकाई (भौतिक शक्त) है तथा काल एक व्याकरणिक (भाषिक) अवधारणा है। किसी क्रिया के घटित होने के समय के प्रति वक्ता का जो मानसिक बोध वाक्य में व्यक्त होता है, वही वैयाकरणिक काल है।

चूंकि 'समय' को भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीन वर्गों में बांटा जाता है, उन्हीं के आधार पर काल को भी परंपरागत व्याकरण में वर्तमानकाल, भूतकाल तथा भविष्यकाल तीन वर्गों में बांटा लिया जाता है।

1. **वर्तमान काल (Present Tense) :-** कथन के क्षण के साथ-साथ क्रिया का होना अर्थात् वर्तमान काल के अंतर्गत आता है, जैसे-

- वह किताबें बेचता है।
- आप क्या करते हैं ?
- मैं खाना खा रही हूँ।

2. **भूतकाल (Past Tense) :-** कथन के क्षण के पूर्व क्रिया व्यापार का होना अर्थात् बीते हुए समय में होना भूतकाल है, जैसे:-

- मैंने चाय पी ली है।
- मैं आगरा गया था।
- बच्चा चला गया।
- वे पत्र लिख रहे थे।

3. **भविष्य काल (Future Tense) :-** कथन के क्षण के बाद क्रिया का होना अर्थात् भविष्य में होना भविष्य काल जैसे :-

- वह कल दिल्ली जा रहा है। (क्रिया वर्तमान काल- जैसी किन्तु है भविष्य काल)
- मैं काम नहीं करूँगा।
- कल हम इस समय परीक्षा दे रहे होंगे।

वर्तमान काल के भेद

वर्तमान काल के तीन भेद माने गए हैं-

1. **सामान्य वर्तमान (Present Indefinite) -** जिस क्रिया से वर्तमान काल में क्रिया का होना या करना पाया जाता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, जैसे -

- लडका जाता है।
- लडके जाते हैं।

• लडका रोज जल्दी उठता है।
 सामान्य वर्तमान में श्राद्ध होने का संकेत तथा हमेशा होने वाली / घटनाएँ श्रवधारणाएँ भी सम्मिलित रहती हैं, जैसे :-

- यह लडका हमारे घर आता रहता है।
- दो और दो हमेशा चार होते हैं।
- ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आती है।

2. अपूर्ण वर्तमान (Imperfect) :- क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हो गया है लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है तथा अभी भी जारी है, उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। इसे शातत्य वर्तमान (Present Continuous) भी कहा जा सकता है, जैसे :-

- लडका खेल रहा है।
- शिक्षक पढ़ रहे हैं।

3. संदिग्ध वर्तमान - क्रिया के जिस रूप द्वारा काम के वर्तमान काल में होने या करने में अनिश्चय का बोध हो उसे संदिग्ध वर्तमान के नाम से जाना जाता है, जैसे :-

- लडके बाजार से आते होंगे।
- पिता ली दफ्तर पहुंचते होंगे।

संदिग्ध वर्तमान में मुख्य क्रिया वर्तमान काल में ही रहती है - आता/पहुंचता/पढता/चलता तथा सहायक क्रिया के रूप में होगा/होंगे/होगी रहती है।

भूतकाल के भेद

भूतकाल के निम्नलिखित 6 भेद हैं -

1. सामान्य भूत (Simple Past या Past Indefinite) - जिस काल से भूतकाल में क्रिया के सामान्य रूप से समाप्त हो जाने का संकेत मिलता है, उसे सामान्य भूत कहते हैं जैसे :-

- लडका आया।
- लडकी ने खाना खाया।

2. आशन्न भूत - क्रिया के जिस रूप से क्रिया के अभी-अभी समाप्त होने का बोध हो, उसे आशन्न भूतकाल कहते हैं। 'आशन्न' का अर्थ है- निकट। आशन्न भूत के यह बोध होता है कि कार्य अभी-अभी, निकट भूत में ही पूर्ण हुआ है, जैसे -

- वह अभी-अभी आया है।
- उसने हाल में चाय पी है।

3. पूर्ण भूत (Past Imperfect) - भूतकाल की जिस क्रिया से यह सूचित होता है कि कोई कार्य भूतकाल में बहुत पहले समाप्त हो चुका था, वह पूर्ण भूत कहलाता है, जैसे -

- लडका खाना खा चुका था।
- लडकी कल दिल्ली गई थी।
- मेरे उठने से पहले सूरज उग चुका था।

4. अपूर्ण भूत (Past Imperfect या Incomplete Past) - भूतकाल की जिस क्रिया से यह विदित हो कि कार्य भूतकाल में प्रारम्भ हो चुका था, चल रहा था, किन्तु काम पूरा नहीं हुआ था, जारी था, उसे अपूर्ण भूत कहते हैं, जैसे -

- लडका पढ़ रहा था।
- माँ खाना बना रही थी।

5. संदिग्ध भूत - भूतकाल की जिस क्रिया के करने अथवा होने पर अनिश्चयता (अर्थात् निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि कार्य हुआ था क्या।) प्रतीत हो, वह संदिग्ध भूत कहलाता है, जैसे -

- लडकी ने कविता पढ़ी होगी।
- लडके ने गीत गाया होगा।

संदिग्ध वर्तमान और संदिग्ध भूतकाल दोनों में होगा/होगी/होंगे/होंगी सहायक क्रियाएँ तो समान रहती हैं किन्तु संदिग्ध वर्तमान में मुख्य क्रिया वर्तमानकाल की (पढता/चलता) होती है तथा संदिग्ध भूतकाल में भूतकाल की (पढा/चला) रहती है।

6. हेतु-हेतुमद् भूत (Conditional Past) - जिस क्रिया से यह जाना जा सके कि कार्य भूतकाल में हो सकता था, परन्तु किसी अन्य कार्य के हो सकते या न हो सकने के कारण (हेतु) से हो सका या न हो सका, वहाँ हेतु-हेतुमद् भूत होता है, जैसे-

- कपिल पढता तो उत्तीर्ण हो जाता।
- कपिल पढ इसलिए उत्तीर्ण हो गया।
- यदि वर्षा होती तो फसल हो जाती।

भविष्य काल के भेद

भविष्य काल के तीन भेद माने गए हैं -

1. सामान्य भविष्य (Future Indefinite या Simple Future) भविष्य काल की जिस क्रिया से यह सूचित हो कि क्रिया भविष्य में एक या अनेक बार होगी, उसे सामान्य भविष्य कहते हैं, जैसे -
 - माली पौधों में पानी देगा।

- हम सब खेलने जाएँगे ।
- हम आज शाम आपके यहाँ आ रहे हैं । (क्रिया वर्तमान जैसी किन्तु भविष्य काल)

2. संभाव्य भविष्य (Doubtful Future) - क्रिया के जिस रूप से भविष्य काल में कार्य के होने की संभावना पाई जाए, वह संभाव्य भविष्य कहलाता है, जैसे -

- वह शायद कल खेरे आ जाए ।
- हो सकता है, मेहमान कल ही आ जाएँ ।

संभाव्य भविष्य की क्रियाओं से कार्य के होने का निश्चित पता नहीं चलता, केवल उसकी संभावना का बोध होता है, जिसे 'संभव है' 'हो सकता है' आदि पदों से व्यक्त किया जाता है ।

3. शातत्यबोधक भविष्य (Future

Continuous) जिस क्रिया- रूप से भविष्य में कार्य के जारी रहने का/निरंतरता का बोध हो, उसे शातत्यबोधक भविष्य कहते हैं, जैसे -

- कल हम इस समय परीक्षा दे रहे होंगे ।
- हमारे पहुंचने के समय पुनीत पढ़ रहा होगा ।

लिंग

हिंदी में दो लिंग हैं-पुल्लिंग और स्त्रीलिंग । संस्कृत का नपुंसक लिंग हिंदी में पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के रूप में विभाजित हो गया है और इसी से अहिंदीभाषियों को हिंदी भाषा की लिंग की अवधारणा को समझने में बहुत कठिनाई होती है । दशरथल कौनसे शब्द पुल्लिंग है और कौनसे स्त्रीलिंग इसके कोई स्पष्ट नियम नहीं हैं, हिंदी के व्याकरणों ने जितने नियम बनाए हैं उतने ही अपवाद भी उपस्थित हो गए हैं । यदि आकारांत शब्द पुल्लिंग है और ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग है तो आकारांत शब्द स्त्रीलिंग भी है और इकारांत/ईकारांत शब्द पुल्लिंग भी है-

आकारांत पुल्लिंग	आकारांत स्त्रीलिंग	इकारांत/ईकारांत पुल्लिंग	ईकारांत स्त्रीलिंग
झंडा, घडा	दशा, माला	कवि, मोती	झंडी
मटका, देवता	लता, कथा	पति, दही	घडी
पंखा, नाला	भाषा, धारा	रवि, घी	मटकी
धनिया, काढा	कविता, पूजा	हरि, पानी	देवी
गजरा, पुदीना	अनुजा, शिक्षा	यति	पंखी
कहवा, खीरा	परीक्षा, विधवा	मुनि	नली
रायता, करेला	आज्ञा, विद्या	शशि	
झुमका, लोहा	दया, कृपा		
ताँबा, पतीला			
पाटा, मूँगा			